न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 92/2018 — तारीख रजू:– 31.08.2018

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

धर्मसिंह पुत्र परताप जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————————————————— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दलगंजी
2. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरी

   (1–2) जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. कमलेश पुत्री धर्मी पत्नि दलेपसिंह जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. खूबी पुत्र प्रभू जाति निवासी पाली तहसील हिण्डौन
5. गुड्डी पुत्री धर्मी पत्नि राधेश्याम जाति जाट निवासी वरको तहसील नंदबई जिला भरतपुर
6. गुड्डी पुत्री प्रभू पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली
7. गुन्ता पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
8. गुलाब पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
9. गोला पत्नि राजेश जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
10. राधेश्याम
11. प्रेम
12. मुरारी
13. बिजेन्द्र

    (10–13) पिसरान चिम्मन जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली
14. छगन पुत्र मनोहरी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
15. जवाहरसिंह पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
16. झूमरलाल पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
17. देवीलाल
18. दिनेश

    (17–18) पिसरान पूरन जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली
19. निरंजन पुत्र धर्मी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
20. प्यारेलाल पुत्र कन्हैया उर्फ रामस्वरूप जाति जाट निवासी पाली
21. पूरन पुत्र प्रभू
22. प्रेमसिंह पुत्र धर्मी
23. भालसिंह पुत्र रामहंस
24. मुकेश पुत्र झण्डू
25. मुकेश पुत्र धर्मी
26. मगन पुत्र प्रभू

    (21–26) जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
27. महादेवी पुत्री दलंगजी पत्नि मोहनसिंह जाति जाट निवासी [illegible] तहसील हिण्डौन जिला करौली
28. मानसिंह पुत्र रामपाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
29. माया पत्नि प्रभू जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

30. मौला पुत्री दलगंजी पत्नि जगमोहन जाति जाट निवासी क्यारदाकला तहसील हिण्डौन
31. रूपन पुत्री राजपाल पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी गादौली तहसील नंदबई जिला भरतपुर
32. रमेश पुत्र रामभरोसी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
33. राजेन्द्र पुत्र धर्मी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
34. राजेन्द्री पुत्री दलगंजी पत्नि साहबसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाकला तहसील हिण्डौन
35. राजवीरसिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
36. रामकटोरी पुत्री रामहंस पत्नि रतनी जाति जाट निवासी किसान नंगला तहसील बयाना जिला भरतपुर
37. शिवचरण | पिसरान रामखिलाडी जाति जाट निवासी पाली
38. रामू | तहसील हिण्डौन जिला करौली
39. शेरसिंह |
40. रामबाबू पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
41. रामसिंह पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
42. राहुल | पिसरान राजेश नावालिग जरिये संरक्षक माता गोला
43. लवकुश | जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
44. लच्छो पुत्री धर्मी पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी वरको तहसील नंदबई जिला भरतपुर
45. बृजेश पुत्री ज्ञानसिंह पत्नि रामकुंवर जाति जाट निवासी भरकऊ तहसील नंदबई जिला भरतपुर
46. बदनसिंह पुत्र झण्डू | जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
47. बनैसिंह पुत्र रामधन |
48. विजय पुत्र रामभरोसी | जिला करौली
49. विजयसिंह पुत्र धर्मी |
50. वीरसिंह पुत्र किशनलाल |
51. वीरीसिंह पुत्र प्रभू |
52. शकुन्तला पुत्री दलगंजी पत्नि रामा जाति जाट निवासी महूदलालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
53. श्यामसिंह पुत्र झण्डू जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
54. सुनीता पुत्री दलगंजी पत्नि कुमरपाल जाति जाट निवासी क्यारदाकला
55. सुफेदी पत्नि धर्मी जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
56. सम्पत पुत्र रामहंस जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
57. स्वराज पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
58. सीता पुत्री दलगंजी पत्नि श्री जाति जाट निवासी सौमलारात्रा तहसील हिण्डौन जिला करौली
59. सोमोती पत्नि राजपाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
60. सोहनसिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन
61. शिब्बा | पिसरान हरज्ञान जाति जाट निवासी पाली
62. सुमरन | तहसील हिण्डौन जिला करौली
63. गुलाब |
64. पप्पू |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

65. हरदेई पुत्री रामभरोसी पत्नि राजपाल जाति जाट निवासी चुरायण का नंगला तहसील बयाना जिला भरतपुर
66. हरेन्द्र पुत्र ज्ञानसिंह जाति जाट निवासी बदनपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर
67. हिम्मतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जाट निवासी बदनपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर
68. प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा हिण्डौन सिटी
69. प्रबन्धक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन सिटी
70. प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन सिटी
71. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :– 11-10-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 288 रकबा 4 बिस्वा, 289 रकबा 17 बिस्वा, 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात को वादी ही काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। जो नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 से स्पष्ट है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा प्रभू की खातेदारी की भूमि थी, जो वादी ने कय कर ली थी तथा न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन के आदेश के आधार पर आराजी साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा ग्राम पाली का नामान्तकरण सं0 219 दिनांक 13.02.1983 को खातेदार प्रभू पुत्र श्रीराम कन्हैया पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट सा0देह हि0 समान के स्थान पर वादी धर्मसिंह पुत्र प्रताप जाट सा0 हक में भरकर तस्दीक किया गया है। वरवक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय तहसील हिण्डौन में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था। इसलिए उक्त नामान्तकरण का अमल जमाबन्दी में वादी के नाम नहीं हुआ। वादी उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा ग्राम पाली पर सन् 1983 से ही काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2021.12.17 14:34:19
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने दौराने सेटिलमेन्ट वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये हैं। जो मिलान क्षेत्रफल सं0 2046 –66 के अनुसार हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
251 मिन	15 बिस्वा	561	1.20 है0
287	2 बीघा 10 बिस्वा		
288	4 बिस्वा		
289	17 बिस्वा		
290	7 बिस्वा		
249	2 बीघा 12 बिस्वा	523	1.40 है0
250 मिन	–		
290	2 बीघा 3 बिस्वा		

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटिलमेन्ट वादी की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 288 रकबा 4 बिस्वा, 289 रकबा 17 बिस्वा, 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन के कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पाली की खातेदारी के कॉलम में वादी के साथ में प्रतिवादी सं0 1 ता 67 का नाम गलत तौर से दर्ज कर दिया है जबकि खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पाली की खातेदारी अकेले वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का वादी अधिकारी है तथा सभी प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कराने एवं वादी स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का साबिक रिकार्ड के आधार पर अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटिलमेन्ट वादी की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन के कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम पाली की खातेदारी किशनलाल पुत्र परताप, परताव पुत्र रघुवर हि0 1.22 है0, धर्मसिंह पुत्र परताप हि0 0.18 है0 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड [illegible] नकल जमाबन्दी सं0 2054–57 से स्पष्ट है। जबकि वादी का हिस्सा रकबा [illegible] 22 है0 दर्ज होना चाहिए था तथा राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दी सं0 2054–[illegible] के बाद की जमाबन्दीयों में से वादी का नाम हजफ कर दिया तथा खातेदारी किशनलाल के वारिसान के नाम किशनलाल के फौत होने पर दर्ज हो गई [illegible] नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 से स्पष्ट है। इस प्रकार वादी हाल खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:19
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

523 रकबा 1.40 है0 ग्राम पाली में से रकबा 0.22 है0 की खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि वादी वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली पर मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने हक में साबिक रिकार्ड के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी कराने का हकदार है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 12.08. 2018 सुबह 9 बजे का है कि वादी ने प्रतिवादीगण को इकट्ठा कर कहा कि भाईयों मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ तथा पता नहीं कब मेरे प्राण पखेरू उड जावें तुम तहसील में चलकर तुम्हारे नाम को मेरी खातेदारी में से दुरूस्त करवा लो, तुम्हारा कभी कब्जा काश्त नहीं रहा ।तब प्रतिवादी सं01 ता 67 ने अपना नाम हटवाने के लिए मना दिया तथा वादी से कहा कि कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दो हम हमारा नाम हटवाने के लिए बयान कर देंगे। इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि दिनांक 12.08.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी से मना करने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में से हटवाने वाद कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं071 लैण्ड होल्डर होने के कारण, प्रतिवादी सं0 68 लगायत 70 के यहॉ भूमि रहन रखने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ फरमाये जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे [illegible] वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर [illegible] है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई क[illegible] नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन को मुताविक डिकी वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070—73, नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38, नकल जमाबन्दी सं0 2021—24, नकल नामान्तकरण सं0 219, नकल जमाबन्दी सं0 2047, नकल जमाबन्दी सं0 2054—57, नकल जमाबन्दी सं0 2058—61, नकल जमाबन्दी सं0 2070—73 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी धर्मसिंह पुत्र परताप जाति जाट निवासी पाली तहसील सूरौठ जिला करौली ने शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं जो पी0डब्लू01 हैं तथा गवाह मगन पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी पाली तहसील सूरौठ जिला करौली का शपथ पत्र पी0डब्लू02, गवाह हेतराम पुत्र खरकसिंह जाति जाट निवासी पाली तहसील सूरौठ जिला करौली का शपथ पत्र पी0डब्लू03 पेश किये हैं।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2070—73 प्रदर्श—1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र दलंगजी हि01/1740,ओमप्रकाश पुत्र मनोहरी हि0 1/72, कमलेश पुत्री धर्मी हि0 1/1740, किरोडी पुत्र कमल हि01/24, खूबी पुत्र प्रभू हि01/336, गुड्डी पुत्री धर्मी हि01/1740, गुड्डी पुत्री प्रभू हि01/336, गैंदा पुत्र रामबक्स हि01/32, गुन्नी पत्नि किशनलाल [illegible] पत्नि दलगंजी हि01/1740, गुलाब पुत्र राजपाल हि01/132, गोला पत्नि [illegible] हि01/1740, गोपाल पत्नि राजेश हि01/32, चिम्मन पुत्र किशन हि01/24 [illegible] छगन पुत्र मनोहरी हि01/72, जगदीश पुत्र सोना हि0 1/[illegible] किशन हि01/24, जवाहरसिंह पुत्र दलगंजी हि01/1740, झूमरलाल [illegible] हरख्याल हि01/24, देवेन्द्र पुत्र रामभरोसी 1/132, देवीराम पुत्र पूरन हि01/48, दिनेश पुत्र पूरन हि01/48, धर्मसिंह पुत्र परताप हि01/30, नहने पुत्र रामबक्स हि01/32, निरंजन पुत्र धर्मी हि01/1740, पप्पू पुत्र प्रभू हि01/336, प्यारेलाल

Signature Not Verifi
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पुत्र कन्हैया रामस्वरूप हि01/132, पूरन पुत्र प्रभू हि0 1/336, प्रेमसिंह पुत्र धर्मी हि0 1/1740, भालसिंह पुत्र रामहंस हि0 1/1740, मुकेश पुत्र झण्डू हि0 1/144, मुकेश पुत्र धर्मी हि0 1/1740, मगन पुत्र प्रभू हि01/336, महादेवी पुत्री दलगंजी हि01/1740, मानसिंह पुत्र बुद्धा हि0 1/12, मानसिंह पुत्र रामपाल हि0 1/72, माया पत्नि प्रभू हि0 1/336, मौला पुत्री दलगंजी हि01/1740, रूपा पुत्री राजपाल हि01/132, रमेश पुत्र रामभरोसी हि01/132, राजेन्दर पुत्र धर्मी हि0 1/1740, राजेन्द्री पुत्री दलगंजी हि01/1740, राजवीरसिंह पुत्र किशनलाल हि01/560, रामकटोरी पुत्री रामहंस हि01/1740, रामकटोरी पुत्री विण्डी हि01/96, रामकली पुत्री विण्डी हि01/96, रामखिलाडी पुत्र नत्थू हि01/24, रामप्रसाद पुत्र नानगा हि01/16, रामबाबू पुत्र दलगंजी हि01/1740, रामस्वरूप पुत्र जंगली हि01/8, रामसिंह पुत्र मोतीराम हि0 1/132, राहुल पुत्र राजेश हि0 1/1740, लंकुश पुत्र राजेश हि01/1740, लच्छी पुत्री धर्मी हि01/1740, लज्जा पुत्री धर्मी हि01/1740, बृजेश पुत्री ज्ञानसिंह हि0 1/560, बदनसिंह पुत्र झण्डू हि01/144, बनैसिंह पुत्र रामधन हि01/12, विजय पुत्र रामभरोसी हि01/132, विजयसिंह पुत्र धर्मी हि01/1740, वीरसिंह पुत्र किशनलाल हि01/560, वीरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/336, शकुन्तला पुत्री दलगंजी हि01/1740, श्यामसिंह पुत्र झण्डू हि01/144, श्रीराम पुत्र सांवल हि01/1740, सुगर पुत्र सोना हि01/1740, सुनीता पुत्री दलगंजी हि01/1740, सुपेदी पत्नि धर्मी हि01/1740, सम्पत पुत्र रामहंस हि01/12, स्वराज पुत्री राजपाल हि01/132, सीता पुत्री दलगंजी हि01/1740, सोमोती पत्नि राजपाल हि01/132, सोहनसिंह पुत्र किशनलाल हि0 1/560, हरज्ञान पुत्र रामहंस हि01/1740, हरदेई पुत्री रामभरोसी हि0 1/132, हरेन्द्र पुत्र ज्ञानसिंह हि0 1/560, हिम्मतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह हि01/560 समस्त जातियान जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम पाली तहसील सूरौठ की खातेदारी राजवीरसिंह वीरसिंह सोहनसिंह पिसरान किशनलाल जाति जाट बहिस्सा बराबर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2054–57 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 की खातेदारी किशनलाल पुत्र परताप, परताप पुत्र रघुवर हिस्सा 1.22, धर्मसिंह पुत्र परताप हि0 0.18 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम पाली तहसील हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बरान के निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हेक्टयर में
251 मिन 287 288	15 बिस्वा 2 बीघा 10 बिस्वा 4 बिस्वा	561	1.20 है0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

289	17 बिस्वा		
290 मिन	7 बिस्वा		
291	—		
249	2 बीघा 12 बिस्वा	523	1.40 है0
250 मिन	—		
290	2 बीघा 3 बिस्वा		

नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन की खातेदारी धर्मसिंह पुत्र परताव जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 288 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन की खातेदारी धर्मसिंह पुत्र परताव हि01/2. परताव पुत्र रघुवर हि01/2जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2021–24 प्रदर्श–4 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 281 रकबा 7 बिस्वा, 282 रकबा 8 बिस्वा, 283 रकबा 14 बिस्वा, 288 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 299 रकबा 19 बिस्वा, 300 रकबा 18 बिस्वा, 301 रकबा 18 बिस्वा, 359 रकबा 16 बिस्वा, 360 रकबा 11 बिस्वा, 383 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 570 रकबा 7 बिस्वा, 571 रकबा 1 बिस्वा, 604 रकबा 8 बिस्वा, 672 रकबा 7 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रभू पुत्र श्रीराम हि01/24, मनोहरी मानसिंह पि0 रामफूल हि0 1/24, जगदीश दलगंजी सुगर पिस0 सोना, रामहंस श्रीराम धर्मी रामधन पि0 सांवल हि01/12, कन्हैया हि01/12, जवाहरसिंह चिम्मन पुत्र किशन हि0 1/12, बुद्धा पुत्र रामहेत हि01/12, हण्डू झण्डू पि0 विण्डी हि01/24, किरोडी पुत्र कमल हि01/24, रामखिलाडी पूरन हरख्याल पि. नत्था हि0 1/8, गंगाप्रसाद पुत्र बादाम हि01/12, रामस्वरूप पुत्र जंगली हि01/8, गैंदा नहने पि0 रामबक्स हि0 1/8, रामप्रसाद पुत्र नानगा हि01/16 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 219 फैंसल दिनांक 13.02.1983 में अंकन किया हुआ है कि आदेश उपजिलाधीश के खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम पाली के खातेदार पभू पुत्र श्रीराम कन्हैया पुत्र जवाहरसिंह जाति [illegible] सा0देह समान के स्थान पर धर्मसिंह पुत्र प्रताप जाट सा0देह [illegible] है तथा नामान्तकरण स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि नामान्तकरण [illegible] हुआ एस.डी.ओ. साहब ने खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का आदेश दिया है परन्तु इस खसरा नम्बर में कुल रकबा 17 बिस्वा ही अंकित है। अतः मुताविक आदेश धर्मसिंह पुत्र प्रताप जाट पाली के खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा का नामान्तकरण स्वीकार किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल नामान्तकरण सं0 219 फैंसल दिनांक 13.02.1983 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 17 बिस्वा ग्राम पाली तहसील हिण्डौन का वादी धर्मसिंह खातेदार काश्तकार था किन्तु वरवक्त नामान्तकरण तहसील हिण्डौन में सेटिलमेन्ट का कार्य प्रारम्भ होने के कारण उक्त नामान्तकरण का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के नाम नहीं होना सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 288 रकबा 4 बिस्वा, 289 रकबा 17 बिस्वा, 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। दौराने सेटिलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बरान व अन्य 4 नम्बरों को शामिल करते हुए नवीन खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0, 523 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम पाली कायम किये गये हैं। जिसमें खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण पर वादी का कब्जा काश्त होना साबिक रिकार्ड से स्पष्ट है तथा खातेदारी अपने हक में कराने का अधिकारी है तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में वादी हि0 0.18 है0 का जमाबन्दी सं0 2054 से 57 में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड था, जबकि हाल खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 को वादी के साबिक खसरा नम्बर 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा को शामिल करते हुए कायम किया गया है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में वादी रकबा 0.22 है0 का खातेदार काश्तकार मुताबिक साबिक रिकार्ड साबित हैं। इसी प्रकार वादी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है तथा पूर्व के इन्द्राजात हजफ कराने का भी अधिकारी है। ऐसे हालात में वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का किसी भी बैंक से ऋण नहीं लेने के कारण वादी के हिस्से पर कोई रहन मुर्तहिन का इन्द्राज नहीं कराने का भी वादी हकदार है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा ख[illegible] इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पाली तहसील सूरौठ [illegible] परताप जाति जाट निवासी पाली तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार [illegible] किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जा[illegible] तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली तहसील सूरौठ का वादी धर्मसिंह पुत्र परताप जाति जाट निवासी पाली तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested

सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगा। उक्त भूमि में वादी के हिस्से पर कोई रहन मुर्तहिन का इन्द्राज नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 523 रकबा 1.40 है0 में से रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम पाली में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:1
Reason: SelfAttested